आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

01/09/24

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 19/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

भू–दाता माधो प्रसाद, पिता–मोहन भगत, ग्राम–खनगाह, थाना+जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
103	721 एवं 722	03 डी०	उतर–चन्द्रिका प्रसाद सिंह दक्षिण–लक्षु सिंह पूरब–हलखोरी सिंह पश्चिम–नीज

मौजा–खानगाह, थाना–अरवल, थाना संख्या–......... जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। भूदाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 837 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, अरवल के माध्यम से भूदाता को नोटिस तामिला कराया गया एवं वर्णित भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी अरवल द्वारा नोटिस तामिला एवं जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन के आलोक में कब्जाधारीगण को न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। कब्जाधारीगण का नोटिस तामिला प्राप्त हुआ। भूदाता की ओर से रामधार राम, पिता–साधोराम (भूदाता का भतीजा) न्यायालय में उपस्थित हुए। कब्जाधारी न्यायालय में उपस्थित नही हुए ना ही इनके द्वारा कोई आपति दर्ज की गई है।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल का जॉच प्रतिवेदन तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ–दान पत्र पर भूदाता का हस्ताक्षर अंकित है। भूदाता द्वारा वर्णित भूमि दिनांक 11.02.1954 को भूदान यज्ञ दान पत्र के माध्यम से दिया गया है। अंचल अधिकारी, अरवल ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि वर्णित भूमि का खतियान उपलब्ध नही है। रामवली यादव, पिता–राम दहीन सिंह के नाम पर जमाबंदी संख्या–191/6, 2/1 दर्ज है। जमाबंदी रैयत एवं भूदाता का कोई संबंध नही है। वर्तमान कब्जाधारी जमाबंदीधारक है। कब्जाधारी एवं भूदाता का कोई संबंध नही है। वर्तमान में वर्णित भूमि पर मकान एवं हाता निर्मित है।

भू–दाता का भतीजा रामाधार राम का कहना है कि भूदाता नावल्द थे। मुझे दान में दी गई भूमि के संबंध में मुझे कुछ नही जानकारी हैं। इनके द्वारा कोई लिखित कथन नही दिया गया है। अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा जॉच प्रतिवेदन में बताया है कि वर्णित भूमि पर मकान एवं हाता है। अतः अंचल अधिकारी, अरवल के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में वर्णित भूमि पर मकान एवं हाता की भूमि को संपुष्ट करना उचित प्रतीत नही होता है। भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि को असंपुष्ट की जाती है। आदेश की एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, अरवल को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 01/09/24

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

(हस्ताक्षर) 01/09/2024

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।